कार्यालय उप निदेशक उद्यान, रेनीबाग, कोटा

फोन नं. 0744–2323665 Email ID -adhkota@gmail.com

क्रमांक : एफ ( ) उ.नि.उ. / म.पा. / विज्ञप्ति / 2017–18 / दिनांक :–

विज्ञप्ति

मधुमक्खी कॉलोनी एवं बॉक्स की आपूर्ति हेतु दर– आमंत्रण एवं आपूर्तिकर्ता–पंजीकरण 2017–18

राज्य सरकार की समन्वित बागवानी विकास मिशन उपयोजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए कोटा जिले में प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार कुल 700 मधुमक्खी कॉलोनी एवं 700 बॉक्स, इच्छुक मधुमक्खी पालकों को उपलब्ध कराये जाने है। अतः अपनी दरें एवं पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक बी ब्रीडर्स / बॉक्स सप्लायर्स अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राशि रू0 2200 / – (2000 रू. पंजीकरण व 200 रू. बोली प्रपत्र शुल्क) ई–चालान द्वारा (नॉन रिफण्डेबल) जमा कराकर निर्धारित प्रपत्र कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। सीलबन्द लिफाफों में बोलियां एवं पंजीकरण आवेदन दिनांक 22.09.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। विस्तृत जानकारी एवं शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नोटिसबोर्ड एवं वेबसाईट http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। बोली प्रपत्र पोर्टल से डाउनलोड करने वाले बोलीदाताओं के लिफाफे में निर्धारित शुल्क जमा की रसीद / ई चालान प्रस्तुत करने पर सम्मिलित किये जावेंगें।

(राशिद खान)
उप निदेशक उद्यान,
रेनीबाग, कोटा

कार्यालय उप निदेशक उद्यान, रेनीबाग, कोटा

फोन नं. 0744–2323665 Email ID -adhkota@gmail.com

उपापन योजना

(उपापन संख्या ......1....../2017–18)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कोटा जिला के इच्छुक मधुमक्खी पालकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बी–बॉक्स एवं बी–कॉलोनी उपलब्ध करवाने हेतु प्रति ईकाई दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्ता पंजीकरण हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–7 के अनुसार कार्ययोजना निम्न प्रकार है:–

(क)	उपापन की प्रकृति– माल/संकर्म/सेवायें	माल बी–बॉक्स एवं बी–कॉलोनी।
(ख)	मुख्य विनिर्देश– परिमाण/प्रकार/क्वालिटी	विशिष्टियां संलग्न है।
(ग)	प्राक्कलित मूल्य	प्राप्त लक्ष्य कुल 700 बॉक्स एवं 700 कॉलोनीयाँ रूपये 28.00 लाख एक आपूर्तिकर्ता को अनुमानित आवंटन औसतन 200 ईकाई संभावित रूपये 8.00 लाख।
(घ)	निधियों का स्रोत –आयोजना/ गैर–आयोजना /केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीम/बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना/अन्य	आयोजना
(ङ)	बजट कोड	2401–00–119–25–00–91 रूपये 23.67 लाख कुल आवंटन 2401–00–789–02–04–91 रूपये 58.14 लाख कुल आवंटन 2401–00–796–51–03–91 रूपये 00.00 लाख कुल आवंटन।
(च)	उपापन की अनुसरण की जाने वाली संभाव्य पद्धति	खुली प्रतियोगी बोली।
(छ)	बोली प्रक्रिया के लिए समयसीमा	दिनांक 08.09.2017 को प्रकाशन एवं 22.09.2017 को खोली जानी है।
(ज)	आगामी वित्तीय वर्ष या पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों में अपेक्षित निधियों को परिलक्षित करने के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय या संकर्म के पूरा करने के लिए समयसीमा	शून्य

(योजना उपापन संस्था के विभिन्न सोपान क्रमिक अधिकारियों से प्रत्येक मद के लिए प्राप्त आदानों पर आधारित होगी। भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा–निर्देश एवं सा.वि.ले.नि. में प्रदत्त शक्तियां प्रभावी होंगी।)

(बाबूलाल सुमन)
स0 कृ0अ0
उ.नि.उ. कोटा

(जतीश कुमार दुबे)
स.ले.अ.ग्रेड II
उ.नि.उ. कोटा

(डॉ.जया मेहरा)
कृषि अधिकारी
(योजना प्रभारी)
उप नि. उद्यान कोटा

(राशिद खान)
उप निदेशक उद्यान
कोटा

कार्यालय उप निदेशक उद्यान, रेनीबाग, कोटा

फोन नं. 0744–2323665 Email ID -adhkota@gmail.com

खुली प्रतियोगी बोली हेतु दर–प्रपत्र
(उपापन संख्या.....1......./ 2017–18)

उपापन का नाम :– वर्ष 2017–18 में समन्वित बागवानी विकास मिशन की उपयोजना रा.बा.मि. के अन्तर्गत कोटा जिला के इच्छुक मुधमक्खी पालकों को श्रेष्ठ मधुमक्खी कॉलोनी एवं बॉक्स आपूर्ति की दर–निर्धारण हेतु बोली आमन्त्रण एवं आपूर्तिकर्ता–पंजीकरण कार्य।

कार्य का अनुमानित मूल्यः–रूपये 800000/–
बोली प्रतिभूति राशिः– रूपये 16000/–
प्रपत्र बेचने की दिनांकः–08.09.2017 से 21.09.2017 तक
बोली प्राप्त करने की दिनांकः–22.09.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक

बोली प्रपत्रों का मूल्यः– रूपये 200/–
विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांकः– 08.09.2017
प्रपत्र SPPP पर अपलोड की दिनांक :–08.09.2017
बोली खोलने की दिनांकः–22.09.2017 को दोपहर 2.00बजे

अनुमानित मूल्य का आधारः– वर्ष 2016–17 में एक आपूर्तिकर्ता को आबंटित अधिकतम मात्रा
दर का आधारः– वर्ष 2017–18 हेतु प्राप्त दिशा निर्देश।

....
बोलीदाता का नाम एवं पताः–..
....
बोली प्रपत्र मूल्य प्राप्ति रसीद/ई–चालान संख्या .... एवं दिनांक.......................................
(0075–00–800–52–01–निविदा शुल्क की प्राप्तियां)
बोली प्रतिभूति राशि रूपये................................../– नकद रसीद/ई–चालान/डी.डी.संख्या..................एवं दिनांक..................
(8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा)

बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दरें

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण विशिष्टियों सहित	कार्य की इकाई	कार्य की अनुमानित मात्रा	दिशा निर्देशानुसार अधिकतम मूल्य प्रति ईकाई	कुल अनुमानित राशि	प्रस्तावित दर प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7
1	**बी–बॉक्सः–** IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार 20 फ्रेम (खाली) वाला डबल स्टोरी बॉक्स जिसके नीचे के खण (10 फ्रेम वाला ब्रूड) व ढक्कन के ऊपर का खण हनी चैम्बर (10 फ्रेम वाला) सहित। (विस्तृत विशिष्टियां संलग्न है।)	बॉक्स	200	2000	400000	
2	**बी–कॉलोनीः–** लकड़ी से बनी हुई 8 फ्रेम वाली होनी चाहिये जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा एवं गर्भित रानी से भरे रहते है। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में 70 से 80 प्रतिशत तक प्यूपा, एक में अण्डा व लार्वा 70 से 80 प्रतिशत तक भरे होने चाहिये तथा फ्रेम में शहद भी हो। (विस्तृत विशिष्टियां संलग्न है।)	कॉलोनी	200	2000	400000	
	कुल अनुमानित राशि का योग	–	–	–	**800000**	

संलग्नः– बोली सम्बन्धित नियम एवं शर्तें।

हस्ताक्षर बोलीदाता
(मय दिनांक सील एवं पूर्ण पता, फोन नं. सहित)

(पंजीकरण शुल्क रु0 2000/– नॉन रिफण्डेबल)

कार्यालय उप निदेशक उद्यान, रेनीबाग, कोटा

फोन नं. 0744–2323665 Email ID -adhkota@gmail.com

वर्ष 2017–18 के लिये कोटा जिले में इच्छूक कृषकों को मधुमक्खी बॉक्स एवं मधुमक्खी कॉलोनी आपूर्ती करने हेतु आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण आवेदन–पत्र

(विज्ञप्ति सूचना संख्या .... दिनांक ....)

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर फोटो लगावें

1. नाम फर्म/व्यक्ति ....

2. पिता का नाम (फर्म पर लागू नही) ....

3. पूर्ण पता ....

....(प्रमाण संलग्न करें।)

फोन नं..मोबा0 नं...

4 व्यवसाय ....

5. शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण..

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. बी–ब्रीडर के कार्य का अनुभव (यदि प्रमाण हो तो संलग्न करें)..

7. पूर्व में रजिस्टर्ड बी–ब्रीडर की हैसियत से दी गई कुल सप्लाई **(बॉक्स की संख्या का वर्षवार विवरण)**

2014–15................................. 2015–16................................. 2016–17.................................

8. IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार 20 फ्रेम (खाली) वाला डबल स्टोरी बॉक्स जिसके नीचे के खण (10 फ्रेम वाला ब्रूड) व ढक्कन वाला ऊपर का खण हनी चैम्बर (10 फ्रेम वाला) की दिनांक 31.12.2017 से पूर्व आपूर्ती करने की क्षमता .... **(बॉक्स संख्या)**

9. पूर्व में रजिस्टर्ड बी–ब्रीडर की हैसियत से दी गई कुल सप्लाई **(कॉलोनी की संख्या का वर्षवार विवरण)**

2014–15................................. 2015–16................................. 2016–17.................................

10. लकड़ी से बनी हुई 8 फ्रेम वाली बी कॉलोनी जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते है। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिये तथा फ्रेम में शहद भी हो, की दिनांक 31.12.2017 से पूर्व आपूर्ति क्षमता .... **(कॉलोनी संख्या)**

11. कॉलोनी निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण की राशि व स्त्रोंत जहॉ से ऋण लिया गया यदि कोई हो ...

....

घोषणा–पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषण करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। किसी भी समय पर असत्य पाये जाने पर या आपूर्ती स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाये जाने पर मेरा पंजीकरण निरस्त कर बोली–कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार उपापन संस्था को होगा। पंजीकरण हेतु राशि रूपये **2000/–** (रूपये 1000/– बी बॉक्स एवं रूपये 1000/– बी कॉलोनी) नकद रसीद संख्या/ई–चालान संख्या/डी.डी. संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करवा दी गई है। (प्रमाण संलग्न है।) पंजीकरण के उपरान्त वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित दर पर मुझे/ हमें प्राप्त आपूर्ति आदेश की राशि (उपनिदेशक उद्यान द्वारा परिवर्तनीय) का 5 प्रतिशत कार्य प्रतिभूति राशि राज कोष में जमा कर प्रमाण प्रस्तुत किया जावेगा, एवं अनुबंध हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित समयावधि में विशिष्टियों के अनुसार कार्य सम्पन्न किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(दिनांक एवं सील सहित)

नामः–..
पूर्ण पताः–..
....
(प्रमाण संलग्न करें)
दूरभाष संख्याः–...
बैंक खाता संख्याः–..
(IFSC Code सहित)
(निरस्त चेक संलग्न करें)

कार्यालय उप निदेशक उद्यान, रेनीबाग, कोटा

फोन नं. 0744—2323665 Email ID -adhkota@gmail.com

उपापन संख्या 01/2017—18

इच्छुक कृषकों/पालकों को बी—बॉक्स एवं बी—कॉलोनी आपूर्ति का कार्य वर्ष 2017—18

—: नियम एवं शर्ते :—

(अ) बोली की शर्तें:—

(क) पंजीकरण आवेदन—प्रपत्र :—

1. कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गाँव, नई दिल्ली अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार से अधिकृत संस्थान से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति/संस्थान ही पंजीकृत किये जा सकेगें। पंजीकरण आवेदन के साथ प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
2. मधुमक्खी पालन व्यावसाय का अनुभव प्रमाण स्वरूप गत तीन वर्षों की स्व हस्ताक्षरित व्यावसायिक क्षमता प्रतिवेदन संलग्न करें, जिसका सत्यापन विभागीय समिति द्वारा किया जावेगा।
3. फर्म की स्थिति में जिला उद्योग केन्द्र/ लघु उद्योग निगम से पंजीकरण प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करें।
4. कृषकों को अपेक्षित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों वाली आदेशित **एफ.ओ.आर. आपूर्ति** दिनांक 31.12.2017 से पूर्व सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति **क्षमता का प्रमाण**—पत्र संलग्न करें।
5. स्थायी एवं वर्तमान निवास के प्रमाण स्वरूप नवीनतम बिजली/ पानी का बिल/ आधार कार्ड/ वाहन चालक अनुज्ञा पत्र/ मतदाता पहचान—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
6. **पंजीकरण आवेदन शुल्क** (नॉन रिफण्डेबल) रू. 2000/— (रू. 1000/— बी—बॉक्स हेतु एवं रू. 1000/— बी. कॉलोनी हेतु) मद 0075—00—800—52—01 में रचित ई—चालान के माध्यम से बैंक में जमा कराकर एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
7. आवेदन पत्र पर पासपोर्ट आकार का नवीनतम आवक्ष—चित्र निर्धारित स्थान पर चिपकायें।
8. आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि साफ हस्तलेखन से कटिंग, ओवर—राइटिंग रहित पूर्ण रूप से पूर्ति कर स्पष्ट पठनीय होनी चाहिये। कटिगं या ओवरराइटिगं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
9. आवेदन पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर आवेदक/ संस्था से अधिकृत प्रतिनिधी के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करनी चाहिए।
10. आवेदन पत्र के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे हुये होने चाहिए।
11. पंजीकरण प्रपत्र एवं दर प्रपत्र सहित समस्त प्रपत्रों पर मुहर युक्त हस्ताक्षर कर एक ही लिफाफें में प्रस्तुत किया जाना है।
12. प्रस्तुत सूचना एवं प्रपत्रों में असत्यता प्रमाणित करने पर काली सूची में डाला जावेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व बोली दाता का होगा।

(ख) दर—प्रपत्र :—

1. पंजीकरण एवं दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के ईच्छुक निर्धारित योग्यताधारी बोलीदाता प्रपत्र विक्रय हेतु निर्धारित तिथियों में कार्यालय समय में आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क के लिए मद 0075—00—800—52—01 में उपनिदेशक उद्यान, कोटा के नाम से बैंक में जमा किये गये ई—चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर **बोली—प्रपत्र प्राप्त कर सकते** है।

2. दर–प्रपत्र पर निर्धारित समस्त पूर्तियॉ साफ एवं स्पष्ट रूप में पठनीय हस्तलेखन से भरे जाने चाहिये।
3. अतिआवश्यक कटिगं/ ओवर राईटिगं पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। अधिक कटिगं/ ओवर राईटिगं होने पर दर–प्रस्ताव निरस्त भी किया जा सकता है।
4. प्रपत्र के कॉलम संख्या 7 में प्रति ईकाई दर रूपये में स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में प्रस्तावित की जानी चाहिये।
5. निर्धारित स्थान पर अधिकृत हस्ताक्षर एंव मुहर अंकित की जानी चाहिए।
6. दर–प्रपत्र के साथ बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वहस्ताक्षरित प्रति भी संलग्न करें जिसमें खाता संख्या स्पष्ट दृष्टिगोचर हो।
7. पंजीकरण प्रपत्र (समस्त संलग्नकों सहित) एवं दर–प्रपत्र की प्रत्येक प्रविष्टि पूर्ण स्पष्टतः पठनीय एवं यथावश्यक हस्ताक्षरित कर निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए बैंक में जमा किये गये चालान की प्रति एक ही लिफाफे में भलीभॉति बन्द की जानी चाहिये।
8. **बोली प्रतिभूति राशि** (अनुमानित बोली मूल्य का 2 प्र.श.) के लिए ई–चालान मद 8443–00–103–00–00 में उपनिदेशक उद्यान कोटा के नाम से बनवाकर बैंक में जमा करने के बाद एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये। यद्यपि यह राशि रिफण्डेबल है तथापि प्रदाय आदेश की स्थिति में कार्य प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जा सकेगा।
9. किसी कारणवश बोली निरस्त होने की स्थिति में पुनः आमंत्रण पर भी उक्त राशि जमा रहते हुए पुनः जमा कराने की आवश्यक्ता नहीं होगी।
10. लिफाफे के प्रत्येक जोड़ पर हस्ताक्षर/ मुहर अंकित की जानी चाहिये।
11. लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं बोली प्रतिभूति राशि का विवरण अंकित किया जाना चाहिये।
12. लिफाफे पर नीचे बाईं और बोलीदाता का पूर्ण नाम–पता एवं मुहर अंकित किया जाना चाहिये।
13. किसी पक्षकार को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत उपचार हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर अपील का अधिकार है ।

(ब) आपूर्ति की शर्तेः–

1. वर्ष 2016–17 हेतु इच्छुक कृषकों को बी–बॉक्स एवं बी–कॉलोनी आपूर्ति हेतु एफ.ओ.आर. दर–निर्धारण उपरान्त प्राप्त कुल लक्ष्यों (700 बॉक्स एवं 700 कॉलोनी) के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को यथासम्भव कार्य की आवश्यकता अनुसार आनुपातिक आधार पर प्रदाय आदेश जारी किये जावेगें।
2. प्रदाय आदेश जारी होने की तिथी से 3 कार्यदिवसों में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रदाय आदेश राशि की 5 प्रतिशत **कार्य प्रतिभूति राशि** के लिए मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा में उपनिदेशक उद्यान, कोटा के नाम से ई–चालान बैंक में जमा कर एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध हस्ताक्षर करना होगा।
3. विभागीय अधिकारी/ समिति के सत्यापन के अधीन किसी प्रकार के अनाचार/ कदाचार की स्थिति में आपूर्ति में कोई व्यवधान/ हानि होने पर प्रतिभूति जमा राशि में से एवं भुगतान योग्य अनुदान राशि में से वसूली की जावेगी।
4. प्रतिभूति जमा एवं अनुबन्ध हस्ताक्षर उपरान्त 31.12.2017 से पूर्व निर्धारित विशिष्टियों वाली आदेशित आपूर्ति कृषकों की आवश्यक्तानुसार स्थान पर सुनिश्चित करनी होगी।

5. निर्धारित विशिष्टियों एवं मापदण्डों के अनुसार वांछित बी–बॉक्स एवं बी–कॉलोनी कृषक के खेत पर सकुशल उपलब्ध कराने तक के समस्त व्यय एवं कानूनी दायित्व/ देयताऐं निर्धारित दर में ही सम्मिलित है।

6. श्रम कानून अथवा अन्य किसी कानून, राजकीय नियमानुसार उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं आकस्मिक दायित्व निर्वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ही किये जावेगें। कृषक अथवा विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

7. किसी प्रकार के विवाद की स्थिती में अन्तिम निर्णय उपनिदेशक उद्यान, कोटा का होगा जो सभी सबंधित पक्षकारों को मान्य होगा।

8. आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाले बॉक्स एवं कॉलोनी का सत्यापन विभागीय दिशा–निर्देशों में निर्धारित समिति से होने के उपरान्त प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा एवं विभागीय प्रतिनिधी की उपस्थिति में कृषक को आपूर्ति की जावेगी।

9. आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक बॉक्स पर योजना का नाम, वर्ष एवं स्पेसिफिकेशन कोड के साथ ही आपूर्तिकर्ता का नाम एवं कृषक का नाम–पता भी अंकित होना चाहिए।

10. कृषक की मांग पर उपनिदेशक उद्यान, कोटा की अनुशंसा होने के पश्चात आदेशित मात्रा तक निर्धारित दर से आपूर्ति 15 दिवस में कृषक के खेत पर उपलब्ध करानी होगी।

11. किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को प्रदाय आदेश जारी करने/ न करने का सम्पूर्ण विवेकाधिकार उपनिदेश उद्यान को होगा।

12. यदि किसी आपूर्तिकर्ता को प्रदाय आदेश नहीं दिया जाता है तो अपने उत्पादन को बिना अनुदान के ही इच्छुक कृषकों को विक्रय करना होगा।

13 दरें 31.03.2018 तक प्रभावी रहेगीं।

(राशिद खान)
उप निदेशक उद्यान
कोटा